न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील/टी.ए./5397/2004/श्रीगंगानगर

1– जोगेन्द्रसिंह
2– रणजीतसिंह
3– बग्गासिंह पुत्रगण कपूरसिंह जाति बावरी निवासी 66 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– महेन्द्र सिंह पुत्र कपूरसिंह
2– गुरनाम कौर
3– बचनकौर पुत्रियां कपूरसिंह
4– अग्रेजसिंह
5– निरजन सिंह
6– जगजीतसिंह पुत्रगण कपूरसिंह
समस्त निवासी 66 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
7– राजस्थान सरकाकर जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थितः–

श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री मनीष पाण्डिया, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1 से 4
श्री जमील जई, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण 5 व 6 को बार बार आवाज लगाई लेकिन उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांकः 11–01–2023

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या–17/2004 बउनवानी महेन्द्रसिंह व अन्य बनाम जोगेन्द्रसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17–09–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण अपीलार्थीगण संख्या–1 से 3 ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 90 एवं 92–ए के अन्तर्गत प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध चक–8 पी. टी.डी.ए. के पत्थर नम्बर 247/355 की 25बीघा भूमि बाबत् बंटवारा एवं घोषणा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 3 व 5 एवं 6 की ओर से बलदेवसिंह निवादा अधिवक्ता उपस्थित आये, जिन्हें जवाबदावा पेश करने का अवसर देने के उपरान्त भी जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाबदावा पेश करने का अवसर बन्द किया तथा प्रतिवादी संख्या–4 की तलबी बन्द की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर वादीगण का वाद निर्णय दिनांक 27–1–2004 से स्वीकार करते हुए बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 से 3 ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17–09–2004 से आंशिक स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि वादी का वाद बंटवारा एवं घोषणा का था। प्रतिवादी ने बावजूद तामील जवाबदावा पेश नहीं किया और प्रतिवादी का जवाबदावा बन्द किया गया और आदेश 8 नियम 10सीपीसी के तहत दावा डिक्री किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं थे, उनको आधार बना कर रिमाण्ड किया है और दोनों पक्षों की साक्ष्य लिये जाने का आदेश दिया गया है लेकिन जब प्रतिवादी का जवाबदावा बन्द हो गया तो अपीलीय न्यायालय को जवाबदावा खोलने का अधिकार नहीं है और विवादग्रस्त सम्पत्ति कपूरसिंह के नाम है और प्रत्येक वादी एवं प्रतिवादी का 1/9 हिस्सा बनता है और 1/9 हिस्सा ही डिक्री किया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गत रूप से प्रकरण रिमाण्ड किया है। अतः आदेश अपास्त किया जावे और विचारण न्यायालय की डिक्री बहाल रखी जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क किया कि प्रतिवादी को जवाबदावे का अवसर प्राप्त नहीं हुआ इसलिए जवाबदावा पेश करने की अनुमति सहित दो माह में या शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रिमाण्ड का आदेश पारित किया है, वह सही पारित किया गया है। अपील खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादी जोगेन्द्रसिंह, रणजीतसिंह व बग्गासिंह द्वारा प्रतिवादीगण महेन्द्रसिंह, अगेजसिंह, निरंजनसिंह, जगजीतसिंह, गुरनामकौर व बच्चन कौर व राजस्थान सरकार सहित दावा धारा 52, 88, 90 एवं 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया और विवादित आराजी 8 पीपीडीए पत्थर नम्बर 247/355 की 25बीघा भूमि का बंटवारा करने और प्रत्येक के हिस्से में अमल दरामद करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 व 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री बलदेवसिंह निवाडा उपस्थित आये और प्रतिवादी संख्या–4 की तलबी बन्द की गयी और दिनांक 31–7–2003 को प्रतिवादीगण का जवाबदावा भी बन्द किया गया। राज्य सरकार की ओर से जवाबदावा दिनांक 30–9–2003 को पेश किया गया और पत्रावली तनकी हेतु नियत की गयी लेकिन तनकी की आवश्यकता नहीं होने पर पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित रखी गयी। इन आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–4 की तलबी नहीं की गयी है और उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 एवं 5 व 6 का जवाबदावा दिनांक 31–7–2003 को बन्द किया गया है। इस आदेश को प्रतिवादीगण द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गयी है और विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण जो कपूरसिंह के उत्तराधिकारी है, प्रत्येक का 1/9हिस्सा तय करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गयी है। लेकिन उक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संखया–4 जगजीतसिंह का तलब ही नहीं किया गया है जबकि विचारण न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि प्रत्येक पक्षकार की तलबी की जावे और उसे सुना जावे अन्यथा वह व्यक्ति अपना पक्ष रखने से महरूम ही रहेगा। आदेश 8 नियम 10 सीपीसी में यह व्यवस्था दी गयी है –

10. जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहता है तब प्रक्रिया – जहां ऐसा कोई पक्षकार जिससे लिखित कथन नियम 1 या नियम 9 के अधीन अपेक्षित किया गया है, उसे न्यायालय द्वारा, यथास्थिति, अनुज्ञात या नियत समय के भीतर उपस्थित करने में असफल रहता है वहां न्यायालय उसके विरूद्ध निर्णय सुनाएगा या वाद के सम्बन्ध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे और निर्णय सुनाये जाने के पश्चात् डिक्री तैयार की जायेगी।

8– सिविल प्रकिया संहिता के इस प्रावधान के अनुसार यदि प्रतिवादी जवाबदावा पेश करने में असफल रहता है तो उसके विरूद्ध निर्णय सुनाया जा सकेगा या अन्य आदेश जो ठीक है कर सकेगा। इस प्रकरण में दिनिांक 31–7–2003 को प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 एवं 5 व 6 का

जवाबदावे का अवसर बन्द किया गया है और उसी दिन इनके विरूद्ध कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है बल्कि राज्य सरकार को जवाबदावा पेश करने का अवसर दिया गया अै और तत्पश्चात् पत्रावली निर्णय हेतु नियत की गयी है। आदेश 8 नियम 10सीपीसी के प्रावधानों के तहत न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि जब जवाबदावा बन्द किया जाता है तो उसी दिन निर्णय किया जाना चाहिए लेकिन यदि एक बार विचारण के लिए अग्रसर हो जाता है तो सहिता के प्रावधानों की पालना किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया है। दिनांक 7–11–2004 को पत्रावली तनकी हेतु नियत थी और इस दिन विचारण न्यायालय द्वारा यह आदेशिका लिखी गयी है कि – ''वकील फरीकेन उपस्थित। तनकीयात की आवश्यकता नहीं है। बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15–11–2005 को पेश हो।''

अर्थात् विचारण न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य लिपिबद्ध नहीं की गयी है और वादी द्वारा किये गये अभिवचनों को भी साबित नहीं कराया गया है। अभिवचनों के समर्थन में न तो मौखिक साक्ष्य है, ना ही दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित कराया है। ऐसी स्थिति में निर्णय के लिए अभिवचनों को साबित किया जाना और उन पर निष्कर्ष दिया जाना आवश्यक है। हालांकि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में बताई गयी वसीयत को विवेचित करते हुए निर्णय पारित किया गया है लेकिन विचारण न्यायालय के समख उक्त वसीयत अभिलेख पर नहीं थी और जब कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं हो और आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत दस्तावेज पेश नहीं किया जावे तो उन पर विवेचन किया जाना विधि की दृष्टि में अनुज्ञेय नहीं है लेकिन जैसा कि ऊपर विवेचन किया गया है विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या–4 की तलबी बन्द की गयी है और वादी की साक्ष्य नहीं ली गयी है, यह प्रक्रियात्मक त्रुटि है जिसे दुरूस्त किया जाना और साक्ष्य और साक्ष्य पर प्रतिवादी को जिरह का अवसर दिया जाना उचित है, जिससे प्रकरण का गुणवगुण पर निस्तारण हो सकें।

9– परिणामः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या–17/2004 बउनवानी महेन्द्रसिंह व अन्य बनाम जोगेन्द्रसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17–09–2004 की पुष्टि की जाती है और विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि विधि अनुसार साक्ष्य लेकर दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए 6 माह में निर्णय पारित करें।

10– पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में दिनांक 14–02–2023 को उपस्थित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य